प्रेस नोट
दिनांक 28.07.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद–

कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–702/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 02 आरोपी अभियुक्तगण– 01. रोज अली पुत्र अजीज, निवासी पटेल नगर घोसियाना, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा, 02. मोहम्मद शाहरुख पुत्र फकीर मोहम्मद, निवासी साहबगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को महादेवा ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 26.07.2026 वादी सूर्यप्रकाश दूबे पुत्र राज किशोर दूबे निवासी ग्राम पिपरा लालच, पोस्ट रूद्रगढ़ नौसी, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि रोडवेज बस स्टॉप के पास उसके ऑटो रिक्शा से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका सैमसंग ए 12 मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 28.07.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटन का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरो 01. रोज अली पुत्र अजीज, निवासी पटेल नगर घोसियाना, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा, 02. मोहम्मद शाहरुख पुत्र फकीर मोहम्मद, निवासी साहबगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को महादेवा ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रोज अली पुत्र अजीज, निवासी पटेल नगर घोसियाना, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
02. मोहम्मद शाहरुख पुत्र फकीर मोहम्मद, निवासी साहबगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 702/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सोनू कुमार
02. उ0नि0 शुभांशु पाठक
03. का0 समरपाल वर्मा
04. का0 रामनाथ प्रजापति
05. का0 अनिलेश ओझा

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 28.07.2026

गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त की अपराध से अर्जित अवैध सम्पति (मकान) कीमत 23,03,445/- रुपये की धनराशि कुर्क–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने तथा संगठित अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के आर्थिक स्रोतों को ध्वस्त करने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बड़ी कार्यवाही की गयी है। इसी क्रम में संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी कर बेईमानी से रंगदारी वसूलने के अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करने वाले अभियुक्त शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पण्डित उर्फ मोनू पुत्र स्व0 वीरेन्द्र त्रिपाठी नि0 ग्राम सुनसुनिया थाना पैकोलिया जनपद बस्ती के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर अवैध अर्जित संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गयी थी। श्रीमान जिलाधिकारी, जनपद गोण्डा द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण में राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही संपन्न की गयी। इस दौरान अभियुक्त के ग्राम भरवारा थाना बीबीडी लखनऊ स्थित नवनिर्मित मकान क्षेत्रफल 89.349 वर्ग मी0 23,03,445/- रुपये की कुर्क की गयी। गोण्डा पुलिस की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट संदेश गया है कि संगठित अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके आर्थिक तंत्र को विधिक प्रावधानों के तहत ध्वस्त किया जाएगा। इस प्रकार की कार्यवाही से अपराधियों में भय व्याप्त है तथा आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा गैंगस्टरों एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध उनके आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्तियों के चिन्हीकरण, कुर्की एवं जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी निरंतर, कठोर एवं प्रभावी रूप से जारी रहेगी।

जब्त सम्पत्ति का विवरण–

1. गाटा सं0 1072 व नवनिर्मित क्षेत्रफल 89.349 वर्ग मी0 कीमती 23,03,445/- रू0

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0 04/2026 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना छपिया जनपद गोण्डा।

सीज/कुर्की करने वाली टीम का विवरण–

01. श्रीमती सौम्या पाण्डेय ए0सी0पी0 विभूति खण्ड लखनऊ।
02. श्री गौरव सिंह तोमर थानाध्यक्ष मनकापुर मय टीम।
03. व0उ0नि0 परशुराम सिंह।
04. हे0का0 अनिरूद्ध कुमार सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 28.07.2026</u>

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 20 वर्ष का कारावास व रूपये 10,000/– अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 26.03.2024 को थाना कौड़िया में नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें कौड़िया पुलिस द्वारा अभियुक्त दिलशाद खान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त बालअपचारी के विरूद्ध आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना कौड़िया में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री सुनील मिश्रा व श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0 का0 वंदना व थाना कौड़िया के पैरोकार हेड का0 रामाज्ञा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 28.07.2026 को दोषी बालअपचारी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्री निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कारावास व 10,000/– रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण–

01. दिलशाद खान पुत्र चिनकू नि0 महापारा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–83/24, धारा 376(3) भादवि व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 28.07.2026</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कानून–व्यवस्था एवं विभिन्न अभियानों की समीक्षा बैठक, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–</u>

गोण्डा। आगामी त्योहारों को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने तथा जनपद में प्रभावी कानून–व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आज दिनांक 28.07.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सर्वप्रथम यक्ष एप पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करते हुए पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट रखा जाए। इसके उपरांत थानों पर लंबे समय से खड़े मुकदमाती, जब्त एवं लावारिस वाहनों तथा माल–मुकदमाती के विधिक निस्तारण की समीक्षा करते हुए सभी थाना प्रभारियों को अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीसीटीएनएस पर 60 एवं 90 दिवस से लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए विवेचकों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में समय से आरोप पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही ई–साक्ष्य के प्रभावी संकलन, सुरक्षित संरक्षण एवं समय से अपलोड किए जाने पर विशेष बल देते हुए तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्यों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मिसिंग/रिकवर्ड चाइल्ड की समीक्षा के दौरान लंबित गुमशुदगी के मामलों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों की शीघ्र बरामदगी सुनिश्चित करने तथा बरामद बच्चों के पुनर्वास एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ऑपरेशन दहन के अंतर्गत चल रही कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साइबर क्राइम की समीक्षा करते हुए साइबर हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण, साइबर ठगी के मामलों में धनराशि होल्ड एवं रिफंड कराने की कार्रवाई में तेजी लाने, साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति अधिकाधिक जागरूक करने के निर्देश दिए गए। यातायात व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग को सुनिश्चित कराने, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करने तथा यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में आगामी त्योहारों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अपने–अपने क्षेत्रों के संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों का भ्रमण करने, शांति समिति एवं पीस कमेटी की बैठकें आयोजित करने, धर्मगुरुओं, आयोजकों एवं संभ्रांत नागरिकों से निरंतर संवाद स्थापित करने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की सतत निगरानी रखने, अफवाह फैलाने एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई करने, धार्मिक स्थलों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने, पैदल गश्त एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान संचालित करने, महिला सुरक्षा के दृष्टिगत मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीमों को सक्रिय रखने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु प्रभावी ट्रैफिक प्लान लागू करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक अभियान एवं पुलिसिंग से जुड़े कार्यों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा आगामी त्योहारों के दौरान जनपद में शांति, सुरक्षा, सौहार्द एवं कानून–व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण सतर्कता, अनुशासन, समन्वय एवं

संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे जनपदवासी सुरक्षित एवं निर्भीक वातावरण में त्योहार मना सकें।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण व समस्त थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।